न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

पीठासीन अधिकारी दिनेश शर्मा आर0ए0एस

मुकदमा नं0 13/2024

01.ओमवती पत्नी मनोहर लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बिलोंद तहसील कामाँ जिला डीग राज0

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत बिलोंद जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिलोंद तहसील कामाँ जिला डीग राज0।
2. प्रीति पत्नी निहाल सिंह
3. पूनम पुत्री निहाल सिंह
4. राहुल पुत्र निहाल सिंह जाति ब्राह्मण निवासी बिलोंद तहसील कामाँ

रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 59 दिनांक 21/04/2022
बांके ग्राम बिलोद तहसील कामाँ
ग्राम पंचायत बिलोंद

अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– श्री अमित कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक :– 24/01/2025

अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध रैस्पोडेन्ट इस आशय का पेश किया कि वर्तमान खाता संख्या 700 के आराजी खसरा नम्बर 141/0.06, 143/0.64, 145/0.73, 146/0.45, 148/0.31, 149/0.40, 59/0.16 हैक्टर बांके ग्राम बिलोंद तहसील कामाँ में स्थित है उक्त आराजी मुतदाविया को अपीलान्ट ने प्रीति पत्नी निहाल सिंह , पूनम पुत्री निहाल सिंह, राहुल पुत्र निहाल सिंह जाति ब्राह्मण निवासी बिलोंद तहसील कामाँ से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 17/01/2022 को खरीद किया था। वक्त खरीद के बाद से ही अपीलान्ट का ही मौके पर कब्जा काश्त है। अपीलान्ट ने प्रीति वगै0 से उनके हिस्से 3/25 में से कुल आराजी रकबा 2.75 हैक्टर में 24/275 हिस्से का बयनामा अपने नाम पंजीबद्ध कराया था। बयनामा होने के बाद से ही अपीलान्ट का आराजी मुतदाविया के अपने हिस्से पर शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा काश्त चला आ रहा है। आराजी मुतदाविया का बयनामा हो जाने के बाद बयनामा प्रति हल्का पटवारी को दाखिल खारिज खोलने हेतु अपीलान्ट ने दे दी थी। अपीलान्ट एक अनपढ वृद्ध महिला है जिसको राजस्व कार्यप्रणाली की जानकारी

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

नहीं थी अपीलान्ट ने बयनामा प्रति हल्का पटवारी को देकर निश्चित्त हो गयी कि हल्का पटवारी स्वयं दाखिल खारिज चढा देगा। हल्का पटवारी ने बिना जाँच पडताल किये और बयनामा को नजरदांज करते हुए नामान्तकरण ग्राम पंचायत में रख दिया और ग्राम पंचायत अपीलान्ट के हिस्से 24/275 के स्थान पर 9/275 का नामान्तकरण अपीलान्ट के हक में कर दिया। जबकि बयनामा 24/275 का हुआ था । गलत अंकन के कारण अपीलान्ट के नाम जमीन नही आ पा रही है जिसको राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। नामान्तकरण संख्या 59 में अपीलान्ट के सही हिस्से व रकबे को गलत दर्ज किया गया है जो कि कानून के विपरीत है नामान्तकरण संख्या 59 निम्न कारणो से खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत बिलोंद द्वारा अपीलांट ओमवती का नामान्तकरण संख्या 59 दिनांक 21/04/2022 तस्दीक करते समय अपीलान्ट के बयनामा से खरीदे गये हिस्से व रकबे की जांच करे वगैर ही नामान्तकरण अपीलान्ट ओमवती के नाम गलत इन्द्राज हिस्से 9/275 तस्दीक कर दिया। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट के बयनामा व हिस्से रकबा की कोई जानकारी प्राप्त नहीं की और नामान्तकरण तस्दीक कर दिया नामान्तकरण तस्दीक करने में रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भारी भूल की है। नामान्तकरण संख्या 59 दिनांक 21/04/2022 को तस्दीक करते समय रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बिना बयनामा के व बयनामा में दर्ज हिस्से की जांच किये ही नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जबकि अपीलान्ट स्वयं व अपीलान्ट का पति व परिवारीजन मौजूद थे। अपीलान्ट ने जो बयनामा अपने हक कराया था वह कुल रकबे 2.75 हैक्टर में 24/275 का कराया था जबकि रैस्पोडेन्ट नामान्तकरण 59 तस्दीक करते समय पूनम प्रीति, राहुल को 8/275, 8/275, 8/275 का खातेदार बना दिया जबकि ये क्रमश 3/275, 3/275, 3/275 के खातेदार होने चाहिये थे एवं अपीलान्ट ओमवती को 9/275 का खातेदार बना दिया जबकि अपीलांट 24/275 हिस्से की खातेदार होनी चाहिये थी। पूनम, प्रीति, राहुल तीनो ही 3/25 के खातेदार काश्तकार थे जिन्होने अपने 3/25 हिस्से में से 24/275 हिस्से को अपीलान्ट ओमवती को बेचान किया था पूनम वगै0 का 3/275, 3/275, 3/275 हिस्सा शेष बचता है रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नामान्तकरण तस्दीक करते समय अपीलान्ट के नाम गलत हिस्से 9/275 का अंकन कर दिया जो कि कतई गलत था। अपीलान्ट का हिस्सा 24/275 था रैस्पोडेन्ट ने उक्त गलत नामान्तकरण को तस्दीक कर गैर जिम्मेदारान कार्य किया है तथा कानूनी भूल की है। नामान्तकरण संख्या 59 दिनांक 21/04/2022 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने के सवव भी निरस्त किये जाने के योग्य है। अपीलान्ट अनपढ व वृद्ध महिला है अक्सर बीमार रहती है तहसील कार्यालय में आना जाना भी ना के बराबर होता है अपीलान्ट कृषि ऋण लेने हेतु केसीसी बनवाने के लिए दिनांक 28/10/2024 को हल्का पटवारी के पास दस्तावेज लेने के लिए आवेदन किया तब दस्तावेज लेने के बाद अपीलान्ट को पता चला कि उसका हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज है इससे पूर्व

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

अपीलान्ट को नामान्तकरण संख्या 59 दिनांक 21/04/2022 के बारे में कतई जानकारी नहीं थी। पटवारी हल्का से दिनांक 28/10/2024 को नामान्तकरण संख्या 59 व नकल जमाबन्दी लेने पर जानकारी प्राप्त हुई है। अपील अपीलान्ट बिना किसी देरी के पेश है न्यायालय श्रीमान को अपील को देरी से पेश होना मानते है तो उसकी क्षम प्रार्थी अलग से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलान्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 59 दिनांक 21/04/2022 आदेश ग्राम पंचायत बिलोंद को निरस्त कर अपीलान्ट के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से 9/275 के स्थान पर हिस्सा 24/275 एवं रैस्पोडेन्टस संख्या 2,3,4 प्रीति,पूनम, राहुल के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से 8/275, 8/275, 8/275 को कलमजन कर उसके स्थान पर हिस्सा 3/275, 3/275, 3/275 के राजस्व भू अभिलेख में इन्द्राज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रैस्पोडेन्टस को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडेन्टस बाबजूद रजिस्टर्ड तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं। इसलिए रैस्पोडेन्टस के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं बयनामा का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराया कि नामान्तकरण संख्या 59 के अवलोकन से साबित होता है कि ग्राम पंचायत बिलोंद ने नामान्तकरण संख्या 59 पर दिनांक 21/04/2022 को आदेश पारित करने में भारी भूल की है जो निरस्त किये जाने के योग्य है।

अतः आज्ञा है कि ::–

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आज्ञा दी जाती है कि नामान्तकरण संख्या 59 दिनांक 21/04/2022 सरपंच ग्राम पंचायत बिलोंद को निरस्त किया जाता है तथा अपीलान्ट के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से 9/275 के स्थान पर 24/275 मुताबिक वयनामा दर्ज करने एवं रैस्पोन्टस् संख्या 2,3,4 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से क्रमशः–8/275, 8/275, 8/275 को कमलजन कर उसके स्थान पर हिस्सा कमशः 3/275, 3/275, 3/275 राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार कामां को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 24/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग)